

22/11/22

वकुलामे फरीकेन उपदिष्ट।  
 उक्त प्रापडा से संबंधित मूल  
 वाद सं. 133/2015 को वाडी चीर्ण्ड  
 में विद्वा कर लिखा है। इस कारण  
 उक्त प्रापडा मूल वाद के अभाव  
 में आगे चलने योग्य नहीं है।  
 अतः दलगत प्रापडा खारिज किया  
 जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से  
 कम होकर मूल वाद सं. 133/2015  
 उक्तवाली थीतु दिह 2015 राजेशा कार्ड  
 के संलग्न रहे।

सपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

